छोड़ी हुई औरतें नहीं, बहादुर औरतें

मणिमाला

''....कल्पना मानकर हूं मैं। 1980 में शादी हो गई थी मेरी। तब मेरी उम्र सोलह साल थी। आठवीं पास कर चुकी थी। आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन गरीब अनपढ़ मां-बाप की नजर में बेटी के लिए शादी सबसे ज़रूरी थी। सो उन्होंने ब्याह दिया।

''पति पांडुरंग दारू पीता था। दारू पीकर पीटता भी था। पिटाई का विरोध करती तो मायके छोड़ आता। तीन साल ससुराल से मायका और मायका से ससुराल आती-जाती रही। अपने लिए थोड़ीसी जगह तलाशती रही। इस बीच पिता की मृत्यु हो गई। पति ने दूसरी शादी कर ली।

''दारू की लत के पीछे एक दिन 125 रुपये के लालच में परिवार नियोजन का ऑपरेशन भी करवा लिया। उस पैसे की दारू पी गया। उसी दिन दूसरी औरत ने भी उसे छोड़ दिया और मैंने भी। मैं हमेशा के लिए पंढरपुर छोड़ कर वापस धुलिया आ गई। उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उसे छोड़ा। लेकिन लोग मुझे ''परित्यक्ता'' कहते हैं। मुझे 'कुआंरी औरत' के बाद एक नाम मिला था 'सुहागन'। अब दूसरा नाम मिला है, ''छोड़ी हुई औरत।''

कल्पना तीस जनवरी को आयोजित ''परित्यक्ता हक्क परिषद'' में शामिल होने औरंगाबाद आई थी। धुलिया की एक झोपड़पट्टी में रहने वाली एक साधारण औरत है वह, जिसके पास अपने आत्मविश्वास के अलावा दूसरी कोई पूंजी नहीं है। इसी आत्म-विश्वास के सहारे उसने ग्यारहवीं पास की। आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही है अब। पांच सौ रुपए दरमाहा मिलता है। खुश है वह। कहती है, ''कुंवारी रह कर देखा। सुहागन बन कर देखा। अब अपने पैरों पर खड़ी होकर जीवन को देख नहीं रही, जी रही हूं। समाज के हाशिए पर जी रही एक आम औरत के लिए इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता है?''

परित्यक्ता हक्क परिषद

औरंगाबाद के सावित्रीबाई फुले नगर में आयोजित 'परित्यक्ता हक्क परिषद' में असाधारण हिम्मत और आत्मविश्वास रखने वाली एक कल्पना नहीं, एक सावित्री नहीं, करीबन तीस हजार कल्पनाएं शामिल हुईं। किसी को पति ने निकाल दिया था, किसी ने अत्याचार और अपमान से मुक्ति पाने के लिए स्वयं पति के घर का परित्याग कर दिया था। चाहे पति ने छोड़ा हो इन्हें, या इन्होंने पतियों को छोड़ा हो, इन्हें ही समाज ने दोषी ठहराया है। ''परित्यक्ता'' यानि ''छोड़ी हुई औरत'' का नया नाम दिया है। लेकिन इन औरतों को अब यह स्वीकार नहीं।

इन्होंने एक स्वर में कहा कि ये शादी के घेरे को तोड़ कर निकली हुई औरतें हैं। क्योंकि उन्हें वह जिंदगी रास नहीं आई, अब ये अपने लिए अपना नया घर बनाना चाहती हैं। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। 'छोड़ी हुई औरत' का लेबल हटा देना चाहती हैं।

साहसी बहनें

परभणी के बसमत तालुका से आई तीन बहनें: कुसुम, शांता और सावित्री..तीनों को ससुराल वालों ने धकिया कर निकाल दिया। कुसुम और शांता एक ही घर में दो भाइयों से ब्याही गई थीं। शांता आठवीं पास है। सिंचाई विभाग में ''सिपाही'' का काम करती है। खेती-बाड़ी करने वाला उसका पति प्रह्लाद चाहता था कि वह नौकरी छोड़ दे। शांता किसी भी कीमत पर नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। तब प्रह्लाद ने अपने बड़े भाई रतन से कहा कि वह अपनी पत्नी कुसुम (शांता की बड़ी बहन) से कहे कि अगर शांता ने नौकरी नहीं छोड़ी तो दोनों भाई अपनी-अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। शांता ने नौकरी नहीं छोड़ी। शादी के तीन माह बाद ही रतन ने कुसुम को और प्रह्लाद ने शांता को छोड़ दिया। सावित्री को, जो तीनों बहनों में बड़ी है, उसके पति ने तीसरे बच्चे के बाद छोड़ दिया था। अब तीनों बहने एक साथ रहने लगी हैं।

''...मैं तो पति की दारू और मारपीट से तंग आकर एक दिन आत्महत्या करने जा रही थी। रॉकेल (किरासन तेल) देह पर उड़ेल लिया था। माचिस जलाने ही जा रही थी कि मेरे दो बच्चे दरवाजा पीटने लगे। मां..मां..मां चिल्लाने लगे। कहने लगे हमने क्या कसूर किया है? हमें छोड़ कर क्यों जा रही हो। हमने तो तुम्हें नहीं मारा-पीटा? मैं दहल गई। मैंने माचिस फेंक दिया। पति से कहा, आज से मैं तुम्हारी पत्नी बन कर नहीं, केवल एक औरत और इन बच्चों की मां बन कर जिंदा

रहूंगी।'' और मंदाकिनी दोनों बच्चों की उंगली थाम कर खाली हाथ ससुराल से बाहर आ गई। अनुताई लिमये के कारखाने में पांच सौ रुपये प्रतिमाह वेतन पर नौकरी कर ली और समाजवादी महिला नियमित संघ की कार्यकर्ता बन गई ताकि ''दूसरों का सहारा बन सकें।''

ससुराल की संपत्ति में हिस्सा

शादी का बंधन तोड़ कर निकली या निकाली गई इन औरतों को एक मंच पर लाने का काम किया 'सोशलिस्ट फ्रंट' ने। तीस हजार इन औरतों के समर्थन में लगभग बीस हजार लोग मौजूद थे इस सम्मेलन में। इनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। सबने एक स्वर में प्रस्ताव पारित कर कहा कि इनके वजूद की रक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है कि ससुराल की संपत्ति में इन्हें आधा हिस्सा मिलना चाहिए।

इसके साथ ही सम्मेलन में मांग की गई कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए परिवार कानून एक ही हो। इस कानून के तहत् स्त्री-पुरुष को बराबर का हक़ दिया जाए। तलाक हो जाने के बाद भी औरत को पति का घर छोड़ने की मजबूरी न हो। उसे सिर्फ गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान न हो बल्कि जमीन में हिस्सा मिले ताकि उसे सड़क पर भटकना न पड़े। महिलाओं से संबंधित कानूनों का पालन करवाने के लिए अलग प्रशासनिक इकाई और मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए। प्रशासनिक इकाई और अदालतों का गठन तालुका स्तर पर किया जाए। □